अपील सूचना अधिकार संख्या 45/2018 (RCMS 2018/00125) श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री हनुमान गोदारा निवासी 18 पी पोस्ट ऑफिस सोहननगर तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर– 335051 (मोबाईल नबर 94601–01630 बनाम उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़

06.11.2019

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री सुरेन्द्र कुमार स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ के समक्ष सूचना का अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके 04 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी से वांछित बिन्दुवार सूचनाएं उपलब्ध करवाई जावे एवं प्रभारी व्यक्ति के जुर्माना लगवाया जावे।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री सुरेन्द्र कुमार ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 04.05.2018 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ के समक्ष प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही थी:

1. प्रार्थी को सतर्कता समिति में सुनकर श्रीमान् एस.डी. एम., रायसिंहनगर द्वारा निर्णय किया जाना था।
2. निर्णय की प्रतिलिपि मांगने पर आपके यहां रिकॉर्ड रूम में भेजी गई कहा गया।
3. श्रीमान् जिला कलक्टर द्वारा आपजी को प्रेषित पत्र।
4. व्यवहारिक पक्ष – एस.डी.एम कार्यालय रायसिंहनगर ने बताया कि मेरे मामले से सम्बन्धित निर्णय/कागजात बस्ता नं. 309 में है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त अपील पत्र के संदर्भ में लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलक्टर, अनूपगढ ने अपने पत्रांक सू.का.अधिकार/18/156 दिनांक 16.07.2018 से अपील का निम्नानुसर जवाब दिया है :

> **उपरोक्त विषयान्तर्गत** प्रसांगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक रिकॉर्ड/सू.का.अधिकार/18/134 दिनांक 15.06.218 से प्रार्थी को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए प्रतिलिपि श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर का प्रेषित की गई थी। सुलर्भ संदर्भ हेतु पत्र चित्रप्रति इस प्रति के साथ संलग्न कर श्रीमान्‌जी की सेवा में साद्र प्रेषित है। कृपया अपील दाखिल दफ्तर फरमावें।
>
> **संलग्न : उपरोक्तानुसार।**
>
> उपजिला कलक्टर एवं प्रभारी अधिकारी
> उप अभिलेखागार, अनूपगढ (श्रीगंगानगर)

उक्त अपील पत्र के संदर्भ में लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला कलक्टर, रायसिंहनगर ने अपने पत्रांक सूकाअ/19/3045 दिनांक 24.09.2019 से अपील का निम्नानुसर जवाब दिया है :

> उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रार्थी सुरेन्द्र कुमार पुत्र हनुमान गोदारा चक 18 एनपी द्वारा सूचना के अधिकार के तहत सर्तकता समिति में की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की चित्र प्रति चाही गई थी। जिसका कार्यालय रिकॉर्ड पत्राचार पत्रावली अनूपगढ अभिलेखागार में जमा करवा दी गई थी। प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना पत्राचार से सम्बन्धित होने के कारण कार्यालय में उपलब्ध नहीं हो रही है। अगर प्रार्थी पुनः अपनी समस्या बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता है तो प्रार्थी को पूर्ण अवसर दिया जाकर उसकी समस्या का समाधान करवा दिया जावेगा।
>
> उप जिला कलक्टर
> रायसिंहनगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलक्टर, रायसिंहनगर ने अपने उक्त जवाब की प्रति अपीलार्थी को देते हुए लिखा है कि आप द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं हो रही है, इस सम्बन्ध में आप अपनी समस्या के सम्बन्ध में पुनः उनके कार्यालय में अपनी समस्या के निराकरण हेतु पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है, जिसक नियमानुसार निराकरण किया जा **सके।**

चूंकि लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलक्टर, रायसिंहनगर द्वारा अपीलार्थी का उसकी सूचनाओं के सम्बन्ध में उक्तानुसार सूचित किया है। इसलिए अपीलार्थी की अपील लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलक्टर, रायसिंहनगर को प्रतिप्रेषित(Remand) की जानी उचित होगी।

अतः अपीलार्थी की अपील लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलक्टर, रायसिंहनगर प्रतिप्रेषित(Remand) की जाती है और आदेशित किया जाता है कि वे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर उचित निर्णय करें। आदेश की प्रति **लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला कलक्टर, रायसिंहनगर/अनूपगढ को भिजवाई जावे** एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमील दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 06.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर